फर्द अहकाम

रामलाल बनाम मुरलीधर वगै०

नाम न्यायालय SD० शाहपुरा

केस संख्या 162/2016 धारा 12 R.T.Act —

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी
	17-1-17	उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण एवं [illegible] स्थगित रखा। P.O. साहब अन्यकार्य में व्यस्त है। पत्रावली सूचीबद्ध [illegible] 8/1/18 को पेश हो।	
	8/1/18	वादी/प्रतिवादी उपस्थित। P.O. साहब अन्यकार्य में व्यस्त है। पत्रावली [illegible] 5/3/18 को पेश हो।	
	5/3/18	वकील उभय पक्ष उप०। श्रीमान P.O. साहब H.C. जयपुर पर गये है। पत्रावली दिनांक 16/4/18 को पेश हो।	
	16.4.18	वकील उभय पक्ष उप०। श्रीमान P.O. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दि० 19/6/18 को पेश हो।	
	19/6/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत में खोराजाखाणी से पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद उकस्वी, बरवाए स्वामी विधेयक का है। जिसका विस्तार दस्तावेज, साक्षी के आधार पर गुणावगुण पर विस्तार किया जाना है। अतः ज.प्र.T.I. के बारी अन्तरिम आदेश दिनांक 20/7/2016 को स्वामी किया जाकर मूल वाद के विस्तार तक दोनों पक्षों से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद में क्रमशीला रहे।	

(राजेन्द्र विजय)
राज्य खाद्य आयुक्त